संख्याः 12/2017/347 /45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017

प्रेषक,

विनीत प्रकाश,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊः दिनांकः 07 अप्रैल, 2017

विषयः-ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या- 8697/ए-लेखा-आयोजनेत्तर बजट अनुमान/2017-18, दिनांक 31 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण, उ. प्र. को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत अभिकरण के प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 में स्वीकृत लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि रू0 2,10,00,000/- (रू0 दो करोड़ दस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम 05 माह हेतु (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017) में रू0-87,50,000/- (रूपया सत्तासी लाख पच्चास हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित मदों पर व्यय करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि (रूपये में)
1	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रू0 83,33,000/-
2	ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रू0 4,17,000/-
		योग रू0 87,50,000/-
		(रू0 सत्तासी लाख पचास हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेग

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वितीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी.ओ.एल. आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत लेखानुदान के अधीन लेखा शीर्षक--''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिये रू0-83,33,000/- तथा 0303- केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0 4,17,000/- '' के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस- 2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस- 2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च 2017 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीत प्रकाश)
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।

आज्ञा से,

विनीत प्रकाश
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।